अन्तराष्ट्रीय
श्रम
कार्यालय

एच्आइवी और एड्स
तथा श्रम की दुनिया से संबंधित सिफ़ारिश 2010 (सं. 200)

ILO AIDS
www.ilo.org/aids

एच्आइवी और एड्स
तथा श्रम की दुनिया से संबंधित
सिफ़ारिश, २०१० (सं. २००)

सर्वाधिकार अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
प्रथम प्रकाशन 2011

अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय के प्रकाशन सार्वभौमिक सर्वाधिकार समझौता के संलेख २ के तहत सर्वाधिकार का उपभोग करते हैं। इसके बावजूद, इनसे संक्षिप्त अंशों को बिना पूर्व अनुमति के, इस शर्त पर उद्धृत किया जा सकता है कि स्रोत का उल्लेख किया गया हो। उद्धरण या अनुवाद का अधिकार प्राप्त करने के लिए, प्रकाशन ब्यूरो (अधिकार और अनुमति) अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय, सीएच–१२११, जिनेवा २२, स्विट्जरलैंड को आवेदन करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय ऐसे आवेदनों का स्वागत करता है। विभिन्न देशों में संबंद्ध उद्धरण अधिकार संगठनों में पंजीकृत पुस्तकालय, संस्थान व अन्य उपयोगकर्ता उस अनुज्ञा के अनुरूप जो उन्हें इस कार्य के लिए दी गई है इन प्रकाशनों की फोटो प्रति कर सकते हैं।

एच्आइवी और एड्स तथा श्रम की दुनिया से संबंधित सिफ़ारिश (संख्या 200)
अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय, जिनेवा 2010

ISBN : 978-92-2-825169-2 (print); 978-92-2-825170-8 (web pdf)

HIV / AIDS / occupational health / occupational safety / workers' rights / ILO Recommendation / text
15.04.2

Also available in French: *Recommandation (n° 200) concernant le VIH et le sida et le monde du travail, 2010* [ISBN 978-92-2-223819-4 (print); 978-92-2-223820-0 (Web pdf)], Geneva, 2010; and in Spanish: *Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200)* [ISBN 978-92-2-323819-3 (print); 978-92-2-323820-9 (Web pdf)], Geneva, 2010.

ILO Cataloguing in Publication Data

आईएलओ के प्रकाशनों में प्रयुक्त पदनाम, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा व्यवहार के अनुरूप हैं, और उनमें प्रस्तुत सामग्री किसी देश की वैधानिक स्थिति, क्षेत्रफल या भूभाग या उसके आधिपत्य या उसकी सीमाओं के परिसीमन के बारे में अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय की ओर से किसी भी तरह के विचार की अभिव्यक्ति नहीं है।

नामांकित लेखों, अध्ययनों या अन्य सहयोग सामग्री में अभिव्यक्त विचारों की जिम्मेदारी पूरी तरह उनके लेखकों की है, और उनका प्रकाशन उनमें अभिव्यक्त विचारों के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय का समर्थन संस्थापित नहीं करता।

प्रकाशनों में कंपनियों के नामों और वाणिज्यिक उत्पादों तथा प्रक्रियाओं का उल्लेख भी उनके प्रति अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय का समर्थन संस्थापित नहीं करता और किसी खास कंपनी, वाणिज्यिक उत्पाद या प्रक्रिया का उल्लेख प्रकाशित होने से रह जाने का अभिप्राय उसके प्रति असहमति का संकेत नहीं है।

आईएलओ के प्रकाशन बड़े पुस्तक विक्रेताओं या अनेक देशों में स्थित स्थानीय आईएलओ कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं, या उन्हें सीधे आईएलओ प्रकाशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय, सीएच–१२११, जेनेवा २२, स्विट्जरलैंड से मंगाया जा सकता है। इस पते से पुस्तक सूचीपत्र और नये प्रकाशनों की सूची मुफ्त भेजे जाते हैं, या उन्हें ई मेल के द्वारा : pubvente@ilo.org से मांगा जा सकता है। देखें हमारी वेबसाइट : www.ilo.org/publns

---

आईएलओ, भारत कार्यक्रम "श्रम की दुनिया में एचआईवी/एड्स की रोकथाम : एक त्रिपक्षीय प्रतिक्रिया"
भारत में अनुवादित और मुद्रित : जुलाई 2011

प्रस्तावना

इस पुस्तिका में आइएल्ओ की एचआइवी और एड्स, तथा श्रम की दुनिया, 2010 (सं. 200), से संबंधित सिफ़ारिश तथा सिफ़ारिश के प्रोत्साहन तथा कार्यान्वयन से जुड़ा प्रस्ताव, जो आइएल्ओ के त्रिपक्षीय घटकों के मज़बूत समर्थन को प्रतिबिंबित करता है, समाहित हैं।

एच्आइवी महामारी जिसका कि आज पूरी दुनिया सामना कर रही है, स्वास्थ्य, विकास तथा आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति के लिए एक गंभीर चुनौती है। एच्आइवी तथा एड्स ने देशों के वर्षों के विकास को काफी पीछे धकेल दिया है, अर्थव्यवस्था की जड़ें खोखली कर दी हैं तथा सामाजिक स्तर अस्थिर कर दिया है। बहुत से देशों तथा आबादियों में एच्आइवी मृत्युदर तथा रुग्णता को बढ़ाने का लगातार प्रमुख कारक बन रही है।

एच्आइवी उत्कृष्ट श्रम तथा समग्र विकास की प्राप्ति में एक प्रमुख अड़चन है। एच्आइवी तथा एड्स से प्रभावित या ग्रस्त लाखों लोगों की जीविका नष्ट हो रही है। यह सर्वाधिक उत्पादक आयु वर्ग को अपना निशाना बना रहा है और गिरती उत्पादकता, श्रम पर बढ़ते खर्च और कौशल तथा अनुभव की क्षति के द्वारा उद्यमों पर खर्च का बोझ लाद रहा है। इसके अतिरिक्त कार्यस्थलों पर वास्तविकता या कथित एच्आइवी के स्तर के आधार पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, विशेषकर एच्आइवी तथा एड्स से प्रभावित श्रमिकों से भेदभाव भरा और निंदनीय व्यवहार किया जाता है। स्थिति तब और भी बद्तर हो जाती है, जब महामारी समाज के कमज़ोर वर्गों तक पहुंच जाती है, विशेषकर जो पहले से ही प्रतिकूल परिस्थितियों में या हाशिये पर जी रहे हों।

श्रम की दुनिया एच्आइवी और एड्स के मुद्दों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये महिलाओं व पुरुषों को वहां महत्वपूर्ण तरीके से सम्मान दिलाती है, जहां पर वे अपना अधिकतर समय बिताते हैं यानि कार्यस्थल में। एच्आइवी तथा एड्स पर कार्यस्थल की नीतियों के विकास तथा कार्यान्वयन से श्रमिकों तथा उनके परिवारजनों तथा आश्रितों को निवारण, उपचार, देखभाल में भरपूर सहयोग मिलेगा और इसके द्वारा एक बड़े पैमाने पर समाज पर इसका असर होगा। हालांकि अभी श्रम की दुनिया का इस महामारी से निपटने के मुद्दे पर बेहतर उपयोग नहीं किया गया है। यदि महामारी के निदान में पूर्ण योगदान देना है तो यह आवश्यक है कि एच्आइवी तथा एड्स संबंधी राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों तथा रणनीतियों को श्रम की दुनिया का अभिन्न अंग बनाना होगा।

सन् 2001 में आइएल्ओ ने एच्आइवी/एड्स तथा श्रम की दुनिया पर एक आचार संहिता अपनायी थी, जिसे कई देशों द्वारा व्यापक तौर पर स्वीकृत किया गया था। वर्ष 2007 में संगठन के सहयोगी घटकों ने यह निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि विभिन्न स्तरों पर अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाते हुए एच्आइवी तथा एड्स के मुद्दे पर श्रम की दुनिया की प्रतिक्रिया को बढ़ाया जाये। परिणामस्वरूप सिफ़ारिश संख्या 200 आइएल्ओ के सदस्य देशों तथा नियोक्ताओं व श्रमिकों के प्रतिनिधियों तथा एच्आइवी के साथ जी रहे व्यक्तियों के संगठनों के सघन सहयोग से तथा सहयोगी अंतरराष्ट्रीय संगठनों विशेषकर यूएन्एड्स, श्रम की दुनिया द्वारा सार्वभौमिक स्तर पर रोकथाम, उपचार, देखभाल व सहायता में अपार योगदान के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धता को सुनिश्चित बनाता है।

यह सिफ़ारिश कार्यस्थलों मे रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करने तथा एच्आइवी तथा एड्स से प्रभावित या उसके साथ जी रहे लोगों की देखभाल एवं उपचार के लिए सुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यकता को प्रतिबिंबित करती है। यह एच्आइवी तथा एड्स पर राष्ट्रीय त्रिपक्षीय कार्यस्थलीय नीतियों तथा कार्यक्रमों को एच्आइवी तथा एड्स पर संपूर्ण राष्ट्रीय नीतियों तथा रणनीतियों व विकास तथा सामाजिक सुरक्षा से संपूर्ण रूप से जोड़ने का आह्वान करती है। यह सभी श्रमिकों के मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान करती है, साथ ही इस पर भी दृष्टि बनाये रखती है कि लैंगिक समानता के सिद्धांत पर कोई आंच न आने पाए और न ही किसी पर एच्आइवी स्तर की जांच तथा एच्आइवी स्थिति को बताने के लिए कोई दबाव डाला जाये, हालांकि वह सभी को जल्द से जल्द स्वैच्छिक तौर पर एच्आइवी संबधी परामर्श तथा जांच के लिए प्रोत्साहित अवश्य करती है। सिफ़ारिश सदस्य देशों को संशोधन या जहां आवश्यक हो राष्ट्रीय क़ानून को अपनाते हुए अपनी व्यवस्थाएं लागू करने के लिए आमंत्रित करती है।

जहां श्रमिक, वास्तविकता जाने बिना या केवल आशंका के आधार पर भेदभाव या कलंकित महसूस किये जाने के भय से मुक्त हों, उन्हें व उनके आश्रितों को राष्ट्रीय तथा कार्यस्थलीय स्तरों पर संशोधित प्रयासों द्वारा एच्आइवी संबंधी शिक्षा, सूचना, उपचार, देखभाल तथा मदद का लाभ पहुंचेगा। इस तरह के प्रयास उन्हें लंबा तथा उत्पादक जीवन जीने में मदद करेंगे और वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान भी दे सकेंगे।

सिफ़ारिश और अंतर्निहित प्रस्तावों के आधार पर, आइएल्ओ, एच्आइवी तथा एड्स से प्रभावित श्रमिकों या साथ रहने वाले लोगों के अधिकारों तथा गरिमा की रक्षा करने हेतु अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के कार्यान्यन के समर्थन के प्रयास को मज़बूती प्रदान करने को प्रतिबद्ध है।

जेनेवा, जून 2010

हुआन सोमाविया,
महानिदेशक

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

सिफ़ारिश २००

एच्आइवी और एड्स तथा श्रम की दुनिया से संबंधित सिफ़ारिश

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का आम सम्मेलन,

जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय की सामान्य आम सभा द्वारा आयोजित किया गया और 2 जून, 2010 को 99वें सत्र में एक बैठक हुई, तथा

यह संज्ञान में लेते हुए कि एच्आइवी और एड्स का समाज तथा अर्थव्यवस्थाओं पर, श्रम की दुनिया के दोनों औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों, श्रमिकों, उनके परिवारों तथा आश्रितों पर, नियोक्ताओं तथा श्रमिक संगठनों पर तथा सरकारी तथा निजी उपक्रमों पर, गंभीर प्रभाव पड़ता है जो उत्कृष्ट श्रम तथा समग्र विकास की प्राप्ति को भारी क्षति पहुंचाता है, तथा

पुनः पुष्टि करता है, श्रम की दुनिया में एच्आइवी और एड्स के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की भूमिका की, तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति तथा अपने कार्य तथा आदेशपत्र में एच्आइवी और एड्स संबंधी भेदभाव तथा तुच्छ व्यवहार से जूझने हेतु संगठन के अपने प्रयासों को मज़बूती देने की आवश्यकता की, तथा

यह ध्यान में रखते हुए कि उत्कृष्ट श्रम को अंजाम देने व धारणीय विकास पर ज़ोर देने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि असंगठित अर्थव्यवस्था को कम किया जाये जिससे कि श्रम की दुनिया को एच्आइवी और एड्स के प्रति बेहतर तरीके से लामबंद किया जा सके, तथा

यह संज्ञान में लेते हुए कि, सामाजिक तथा आर्थिक असमानता उच्चस्तरीय होने, सूचना तथा जागरूकता में कमी, गोपनीयता की कमी, तथा अपर्याप्त उपचार इत्यादि एच्आइवी संक्रमण के जोखिम, मृत्युदर स्तर, अनेक बच्चों का अपने मां या बाप दोनों या इनमें किसी एक को खोना तथा अनेक श्रमिकों का अनौपचारिक श्रम में लगना, जैसी स्थितियों को बढ़ा रहा है, तथा

यह विचारणीय है कि ग़रीबी, सामाजिक तथा आर्थिक असमानता, तथा बेरोज़गारी इत्यादि स्थितियां निवारण, उपचार, देखभाल तथा सहयोग में कमी के जोखिम को बढ़ाती हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है, तथा

यह संज्ञान में लेते हुए कि एच्आइवी और एड्स से ग्रस्त व्यक्ति को कलंकित होने, भेदभाव का शिकार होने का भय इत्यादि ऐसी रुकावटें हैं, जिनके चलते किसी के एच्आइवी के स्तर का पता नहीं चल पाता, परिणामस्वरूप श्रमिकों को एच्आइवी की गिरत में लेने की बढ़ती स्थिति और अतिसंवेदनशील होती चली जाती है और उसे सामाजिक लाभ का अधिकार नहीं मिल पाता, तथा

यह संज्ञान में लेते हुए कि एच्आइवी और एड्स का कमज़ोर तथा जोखिम वाले समूहों पर अधिक घातक प्रभाव पड़ता है, तथा

यह संज्ञान में लेते हुए कि एच्आइवी महिलाओं तथा पुरुषों, दोनों को प्रभावित करता है, हालांकि महिलाओं तथा लड़कियों में एच्आइवी के संक्रमण का जोखिम अधिक होता है। वे आनुपातिक तौर पर महिलाएं एच्आइवी संक्रमण से पुरुषों के बजाय ज़्यादा शिकार होती हैं। इसी का परिणाम है कि एच्आइवी और एड्स से निपटने के प्रति महिलाओं के सशक्तिकरण व लिंग भेद का सवाल विश्वव्यापी प्राथमिकता का केंद्रीय मुद्दा है, तथा

यह ध्यान में रखना होगा, व्यापक व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा का महत्व, तथा

यह ध्यान में रखना होगा एच्आइवी और एड्स तथा श्रम की दुनिया, 2001, पर आइएल्ओ आचार संहिता का महत्व, और उसके प्रभाव को मज़बूत करने का आह्वान, क्योंकि उसके कार्यान्वयन की कई सीमाएं तथा अंतराल हैं, तथा

यह संज्ञान में लेते हुए कि अंतरराष्ट्रीय श्रम कन्वेन्शन तथा सिफ़ारिश तथा एच्आइवी और एड्स तथा श्रम की दुनिया, तथा उच्चतम स्तर के प्राप्य स्वास्थ्य मानक तथा उत्कृष्ट जीवन–निर्वाह के अधिकारों की पहचान में प्रासंगिक अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रपत्रों को प्रोत्साहित और कार्यान्वित करने की आवश्यकता को, तथा

यह ध्यान में रखना होगा कि नियोक्ताओं तथा श्रमिक संगठनों को विशिष्ट भूमिका निभानी होगी, ताकि एच्आइवी और एड्स निवारण को श्रम की दुनिया के माध्यम से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को प्रोत्साहन तथा समर्थन मिल सके, तथा

यह संज्ञान में लेते हुए कि एच्आइवी और एड्स पर राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में बचाव से जुड़ी सूचनाओं तक पहुंचने, उपचार, देखभाल तथा सहायता मामलों में कार्यस्थल की भूमिका महत्वपूर्ण है, तथा

पुष्टि करना कि एच्आइवी और एड्स पर विशेषकर सह–संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के संदर्भ में, इस सिफ़ारिश को प्रभावकारी बनाने के प्रयास हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग को जारी रखने तथा बढ़ाने की आवश्यकता है, तथा

यह ध्यान में रखना होगा कि एच्आइवी और एड्स से निपटने में लगी संरचनाओं, स्वास्थ्य सेक्टर, और विशेषकर एच्आइवी ग्रस्त लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रासंगिक संगठनों के साथ राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है, तथा

पुष्टि करना कि सरकारों, नियोक्ता व श्रमिक संगठनों की सभी स्तरों पर भूमिका तथा उत्तरदायित्व को परिभाषित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक की स्थापना की आवश्यकता है, तथा

यह तय किया गया कि एच्आइवी और एड्स तथा श्रम की दुनिया से जुड़े कुछ प्रस्तावों को स्वीकार किया जायेगा, तथा

यह निर्णय लेते हुए कि ये प्रस्ताव सिफ़ारिश का स्वरूप ले सकते हैं।

वर्ष दो हज़ार दस में जून की सत्रह तारीख को ये सिफ़ारिश अपनायी गयी जिसे एच्आइवी और एड्स सिफ़ारिश, 2010 के तौर पर उद्धृत किया जा सकता है।

I – परिभाषाएं

1. इस सिफ़ारिश के प्रयोजनों के लिए :

(क) 'एच्आइवी' ह्यूमन इम्यूनोडेफ़िशिएंसी वायरस, यानी एक ऐसा वायरस, जो मानव की प्रतिरक्षक प्रणाली को कमज़ोर कर देता है। समुचित उपायों को अपनाया जाये तो संक्रमण से बचा जा सकता है;

(ख) 'एड्स' यानी एक्वायर्ड ह्यूमन इम्यूनोडेफ़िशिएंसी सिंड्रम, जो एच्आइवी के आगे की अवस्थाएं होती हैं, तथा जो अवसरवादी संक्रमण या एच्आइवी–संबंधी कैंसर या दोनों के द्वारा पैदा होती हैं।

(ग) 'एच्आइवी के साथ जी रहे व्यक्ति' यानी वे लोग जो एच्आइवी से संक्रमित हैं।

(घ) 'कलंक' का आशय सामाजिक छाप जो कि ऐसे व्यक्ति से संबंधित होती है जो कि एच्आइवी से ग्रसित व्यक्ति को आमतौर पर अलग–थलग कर देती है, या उसके सामाजिक जीवन में ऐसे अवरोध पैदा करती है जिससे कि वह जीवन का आनंद नहीं ले पाता;

(च) 'भेदभाव' का आशय कोई भी विभेद, अलगाव या वरीयता जिसमें प्रभावित व्यक्ति को रोज़गार या व्यवसाय में समानता और अवसरों में निष्प्रभाव या क्षीणता का सामना करना पड़े। जैसा कि भेदभाव (रोज़गार और व्यवसाय) कन्वेन्शन, 1958, और इसकी सिफ़ारिश, 1958 में उद्धृत है;

(च) 'प्रभावित व्यक्ति' यानी ऐसे लोग जिनका जीवन ही एच्आइवी या एड्स ने बदल कर रख दिया है, और जो महामारी से व्यापक तौर पर प्रभावित हुए हों।

(छ) 'आवास की उचित व्यवस्था' का आशय रोज़गार या कार्यस्थल में कोई संशोधन या समायोजन, जो बुद्धि सम्मत व्यावहारिक हो और एच्आइवी या एड्स के साथ जी रहे व्यक्ति को रोज़गार में भागीदार तथा उन्नत बनाने हेतु उपयोग हो।

(ज) 'अतिसंवेदनशीलता' यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या आर्थिक कारकों के परिणामस्वरूप असमान अवसर, सामाजिक बहिष्करण, बेरोज़गारी या रोजगार में अनिश्चितता, जो व्यक्ति को एच्आइवी संक्रमण और एड्स के विकसित होने के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील बना देती है।

(झ) 'कार्यस्थल' एक ऐसे स्थान से संबंधित है, जहां श्रमिक अपनी गतिविधियों का निष्पादन करते हैं;

(ट) 'श्रमिक' यानी वह व्यक्ति जो किसी प्रारूप या व्यवस्था के तहत काम करते हैं;

II – कार्यक्षेत्र

2. यह सिफ़ारिश सम्मिलित करती है –

(क) सभी प्रारूपों या व्यवस्थाओं के तहत और सभी कार्यस्थलों पर काम कर रहे श्रमिकों को, जिसमें –

(i) व्यक्ति किसी भी रोज़गार या व्यवसाय में लगे हों;

(ii) इन्टर्न्स तथा प्रशिक्षुओं सहित जो भी प्रशिक्षण पा रहे हों;

(iii) स्वयंसेवक;

(iv) नौकरी के इच्छुक और आवेदक; तथा

(v) निकाले गये और निलंबित श्रमिक;

(ख) निजी तथा सार्वजनिक सेक्टरों और औपचारिक व अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं सहित आर्थिक गतिविधियों के सभी सेक्टर; तथा

(ग) सशस्त्र सेनाएं तथा वर्दीधारी सेवाएं।

III – सामान्य सिद्धांत

3. श्रम की दुनिया में एच्आइवी और एड्स से संबंधित राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में शामिल सभी गतिविधियों में निम्न सामान्य सिद्धांत प्रयोग में लाये जाने चाहिए :

(क) एच्आइवी और एड्स पर प्रतिक्रिया को मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता तथा श्रमिकों, उनके परिवारों तथा उनके आश्रितों सहित सभी के लिए लैंगिक समानता के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

(ख) एच्आइवी और एड्स की पहचान तथा इसका उपचार कार्यस्थल का मुद्दा माना जाना चाहिए, जिससे कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया जैसे तत्वों को आवश्यक तौर पर शामिल किया जाये, ताकि संक्रमण का मुकाबला करने में नियोक्ताओं व श्रमिक संगठनों की पूरी भागीदारी हो।

(ग) सिर्फ़ इस बिना पर किसी श्रमिक के साथ कोई भेदभाव या कलंक का तमगा नहीं लगाना चाहिए कि किसी श्रमिक और रोज़गार की तलाश के आवेदक को एच्आइवी की आशंका हो सकती है या यह तथ्य कि अमुक श्रमिक उस क्षेत्र या अंचल से ताल्लुक रखता है जहां एच्आइवी संक्रमण का ज़्यादा ख़तरा है अथवा जहां आमतौर पर उससे प्रभावित लोग पाये जाते हैं।

(घ) एच्आइवी संक्रमण के निवारण के सभी माध्यमों को आधारभूत वरीयता देनी चाहिए।

(च) श्रमिक, उनके परिवार और आश्रितों तक एच्आइवी और एड्स का निवारण, संबंधित उपचार, देखभाल तथा सहायता का लाभ पहुंचना चाहिए, तथा कार्यस्थल को इन सेवाओं को उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

(छ) राष्ट्रीय तथा कार्यस्थल कार्यक्रमों को तैयार करने, उन्हें लागू करने तथा उनका विस्तार करने में श्रमिकों की भागीदारी तथा विनियोजन मान्य और प्रबलित होना चाहिए।

(ज) श्रमिकों को एच्आइवी के व्यावसायिक संक्रमण तथा संबंधित संक्रामक रोगों जैसे तपेदिक इत्यादि जोखिमों को निवारण कार्यक्रमों से लाभ पहुंचना चाहिए।

(झ) श्रमिकों, उनके परिवार तथा उन पर आश्रित लोगों की निजता की सुरक्षा होनी चाहिए साथ ही एच्आइवी और एड्स संबंधी, विशेषकर उनकी स्वयं की एच्आइवी स्थिति की गोपनीयता कायम रहनी चाहिए।

(ट) किसी भी श्रमिक को एच्आइवी जांच कराने या उसकी एच्आइवी स्थिति ज़ाहिर करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए।

(ठ) श्रम की दुनिया में एच्आइवी और एड्स संबंधी उपाय, राष्ट्रीय विकास नीतियों व कार्यक्रमों का हिस्सा होने चाहिए, और वे भी शामिल हों जो श्रम, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य से संबधित हैं; तथा

(ड) उन व्यवसायों से जुड़े श्रमिकों की सुरक्षा जहां विशेषकर एच्आइवी संक्रमण का जोखिम हो।

IV – राष्ट्रीय नीतियां तथा कार्यक्रम

4. सदस्यों को चाहिए कि वे :

(क) एच्आइवी और एड्स तथा श्रम की दुनिया तथा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय नीतियां अपनाएं, जहां वे पहले से विद्यमान नहीं हैं; तथा

(ख) विकास योजनाओं तथा निर्धनता उन्मूलन व उत्कृष्ट श्रम, टिकाऊ उद्यम तथा उपयुक्त आय सृजित रणनीतियों सहित एच्आइवी और एड्स तथा श्रम की दुनिया पर बनी नतियों को आपस में जोड़ें।

5. राष्ट्रीय नीतियां तथा कार्यक्रम विकसित करते समय सुयोग्य अधिकारी वर्ष 2001 की एच्आइवी और एड्स पर आइएल्ओ आचार संहिता, किसी भी अनुवर्ती संशोधन, अन्य प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सिद्धांतों तथा इस विषय पर अपनाये गये अन्य अंतरराष्ट्रीय दिशा–निर्देशों को भी ध्यान में रखें।

6. सुयोग्य अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय नीतियां तथा कार्यक्रम विकसित करते समय नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि संगठनों, एच्आइवी ग्रस्त व्यक्तियों के प्रतिनिधि संगठनो से परामर्श लेना चाहिए और साथ ही प्रासंगिक क्षेत्रों विशेषकर स्वास्थ्य क्षेत्र की अवलोकन दृष्टि पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

7. सुयोग्य अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करते समय कार्यस्थल द्वारा निवारण, उपचार, रखरखाव, तथा सहारा, और साथ ही स्थानीय समुदायों द्वारा स्वैच्छिक परामर्श तथा जांच के प्रोत्साहन इत्यादि पर भी ध्यान देना चाहिए।

8. सदस्यों को चाहिए कि वे एच्आइवी और एड्स और श्रम की दुनिया की नीतियों तथा कार्यक्रमों की सूचनाएं, नियोक्ताओं तथा श्रमिक संगठनों, एच्आइवी और एड्स से जुड़ी अन्य प्रासंगिक शाखाओं तथा जन सूचना चैनलों द्वारा जन–जन तक पहुंचाने में प्रत्येक अवसर का उपयोग करें।

अवसरों तथा उपचार की समानता में भेदभाव तथा प्रोत्साहन

9. सरकारों को नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि संगठनों से परामर्श करने के बाद भेदभाव (रोज़गार तथा व्यवसाय) कन्वेन्शन 1958, के तहत उपलब्ध सुरक्षा के समान ही वास्तविक या केवल शंका के आधार पर एच्आइवी स्थिति पर आधारित भेदभाव से बचने की सुरक्षा के बारे में विचार करना चाहिए।

10. एच्आइवी की वास्तविकता या आशंका, भेदभाव करने, नौकरी पर रखने या रोज़गार से वंचित करने के लिए आधार नहीं हो सकते या समानता के अवसर उन्हीं प्रावधानों के अनुसार मिलेंगे, जिनका उल्लेख भेदभाव (रोज़गार तथा व्यवसाय) कन्वेन्शन 1958 में है।

11. वास्तविक या धारणा पर आधारित एच्आइवी स्टेटस नौकरी से हटाने का आधार नहीं बनना चाहिए। टर्मिनेशन ऑफ़ एम्प्लॉएमेंट कन्वेन्शन 1982 को ध्यान में रखते हुए बीमारी या एच्आइवी या एड्स से संबंधित देखभाल के कारण कार्य से अस्थायी अनुपस्थिति को उसी तरह से समझा जायेगा जिस प्रकार व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित होता है।

12. कार्यस्थल में यदि एच्आइवी और एड्स से संबंधित भेदभाव के खिलाफ़ प्रभावशाली सुरक्षा के मौजूदा उपाय यदि अपर्याप्त हैं तो सदस्यों को इन उपायों को अनुकूल बनाना चाहिए या इनके स्थान पर नये उपाय लायें, और उन्हें प्रभावकारी और पारदर्शी कार्यान्वयन के लिए उपयोग में लायें।

13. एच्आइवी–संबंधित बीमारी के साथ व्यक्तियों को यदि आवश्यक हो तो यथोचित आवास के साथ, जब तक वे चिकित्सकीय तौर पर चुस्त हों, काम जारी रखने की संभावना से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र प्रपत्रों को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को उनकी यथोचित क्षमता के साथ उपाय पुनर्वितरित करते हुए प्रशिक्षण सहित अनुकूल कार्य देकर या उनकी वापसी को सरल बनाते हुए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

14. कार्यस्थल में या इसके माध्यम से ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे एच्आइवी संक्रमण के फ़ैलाव और इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सके :

(क) मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता का आदर सुनिश्चित करना;

(ख) लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना;

(ग) कार्यस्थल पर हिंसा तथा उत्पीड़न रोकने व निषेध के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करना;

(घ) एच्आइवी और एड्स संबंधी कार्यों में महिला व पुरुषों दोनों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना;

(च) बिना किसी लैंगिक भेदभाव, और चाहे वे कमज़ोर वर्ग के हों या न हों, सभी श्रमिकों को एच्आइवी व एड्स संबंधी कार्यों में सक्रिय भागीदारी व सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना;

(छ) महिलाओं व पुरुषों के यौन व प्रजनन स्वास्थ्य तथा यौन व प्रजनन अधिकारों के संरक्षण को प्रोत्साहन देना।

(ज) चिकित्सकीय डाटा सहित, व्यक्तिगत डाटा की प्रभावशाली ढंग से गोपनीयता सुनिश्चित करना।

निवारण

15. निवारण रणनीतियां राष्ट्रीय स्थितियों, कार्यस्थल के स्वरूप के अनुकूल होनी चाहिए, तथा साथ ही लैंगिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक मामलों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

16. निवारण कार्यक्रम में सुनिश्चित होना चाहिए –

(क) कि विभिन्न उपलब्ध संचार चैनलों द्वारा सभी को सांस्कृतिक संवेदनशील स्वरूप तथा भाषा में सटीक, सही, प्रासंगिक और समयानुसार सूचना उपलब्ध तथा सुलभ हो;

(ख) महिलाओं व पुरुषों के लिए व्यापक शिक्षा कार्यक्रम हो, जो उन्हें शिक्षित करे तथा एच्आइवी संक्रमण के सभी प्रकारों जैसे मां से बच्चे को संक्रमण, जैसे जोखिमों, को कम करे, तथा संक्रमण संबंधी परिवर्तित जोखिमों की समझ पैदा करे;

(ग) प्रभावकारी व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य उपाय;

(घ) ऐसे उपाय जिनसे श्रमिक स्वैच्छिक परामर्श और जांच द्वारा अपने एच्आइवी स्टेटस का पता करने को प्रोत्साहित हों;

(च) बचाव के समस्त प्रकार के उपायों तक पहुंच, जिसमें यह बात भी शरीक हो जिससे यह सुनिश्चित करने की सीमाबंदी न हो कि अमुक वस्तुओं की आवश्यक आपूर्ति नहीं थी, विशेषकर पुरुष तथा महिला कॉन्डोम, तथा उनके सही ढंग से उपयोग के बारे में सही सूचना और उपयोग के बाद क्या किया जाये, इस बाबत स्पष्टता हो।

(छ) एच्आइवी घटनाओं को कम करने की दृष्टि से अधिक जोखिम वाले समूहों सहित उच्चतम–जोखिम संबंधी स्थिति को कम करने के लिए प्रभावकारी उपाय अपनाये जायें; तथा

(ज) नुकसान कम करने की रणनीतियां विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएच्ओ), सह संयुक्त राष्ट्र एच्आइवी/एड्स कार्यक्रम (यूएन्एड्स) तथा संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य तथा अपराध कार्यालय द्वारा प्रकाशित निर्देशों तथा अन्य प्रासंगिक निर्देशों के आधार पर हों।

उपचार तथा देखभाल

17. सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य संबंधी नीतियां, नियोक्ताओं तथा श्रमिकों व उनके प्रतिनिधियों तथा जन स्वास्थ्य सेवाओं से परामर्श के बाद ही तैयार की गयी हैं। उन्हें एच्आइवी और एड्स से निवारण के लिए समुचित तथा प्रभावकारी प्रयासों का प्रस्ताव रखना चाहिए ताकि उसके दुष्प्रभाव को काबू किया जा सके।

18. सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एच्आइवी के साथ जीने वाले श्रमिक तथा उनके आश्रित पूरी तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ पायेंगे, चाहे यह उन्हें जन स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली या निजी बीमा या अन्य योजनाओं के तहत मिले। सदस्यों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा तथा जागरूकता बढ़ने से श्रमिक स्वास्थ्य की देखभाल के उपायों तक सरलता से पहुंच पायेंगे।

19. इस सिफारिश के तहत सभी व्यक्ति, जिनमें एच्आइवी के साथ जीने वाले श्रमिक तथा उनके परिवार के लोग तथा उनके आश्रित भी शामिल हैं, स्वास्थ्य सेवाएं पाने के हकदार हैं।

ये सेवाएं निःशुल्क तथा सुलभ होनी चाहिए :

(क) स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच;

(ख) ऐंटीरिट्रोवायरल उपचार तथा अनुसरण शिक्षा, सूचना एवं सहायता;

(ग) उपचार के अनुरुप समुचित पोषण

(घ) अवसरवादी संक्रमण तथा यौन संचारित संक्रमण तथा एच्आइवी संबंधी बीमारी, विशेषकर तपेदिक के लिए उपचार; तथा

(च) एच्आइवी के साथ जीने वाले व्यक्तियों के लिए मनोसामाजिक सहायता सहित सहयोग तथा निवारण कार्यक्रम;

20. एच्आइवी की असलियत या आशंका के आधार पर किसी श्रमिक या उस पर आश्रित व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जिससे कि वे सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था और पेशेगत बीमा योजनाओं अथवा स्वास्थ्य देखभाल, अपंगता, मुत्यु और आश्रितों को लाभ सुलभ कराने जैसी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

सहारा देना

21. राष्ट्रीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एच्आइवी के साथ जी रहे या एच्आइवी–संबंधी बीमारी की गिरत में आए व्यक्तियों के लिए देखभाल और सहारा देने संबंधी कार्यक्रमों के तहत कार्यस्थलों में उनके लिए आवास की उचित व्यवस्था सुलभ हो, ताकि राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से उन्हें बीमारी की स्थिति में राहत मिल सके। कार्य इस तरह से नियोजित किया जाये कि वह एच्आइवी व एड्स की प्रासंगिक प्रकृति और उपचार के संभावी दुष्प्रभावों के अनुकूल हो।

22. सदस्यों को एच्आइवी के साथ जी रहे व्यक्तियों का नौकरी मे निरन्तरता तथा भर्ती को प्रोत्साहित करना चाहिए। सदस्यों को काम के दौरान तथा बेरोज़गारी के समय सहारा देना, और जहां आवश्यकता हो, एच्आइवी के साथ जी रहे व्यक्तियों या एच्आइवी या एड्स से प्रभावित व्यक्तियों के लिए आय के स्रोत के अवसर भी उपलब्ध कराने चाहिए।

23. जहां व्यवसाय तथा संक्रमण के जोखिम के बीच सीधा संबंध स्थापित किया जा सकता हो, वहां एड्स तथा एच्आइवी संक्रमण को राष्ट्रीय प्रक्रियाओं तथा परिभाषाओं तथा व्यावसायिक रोग सिफ़ारिश सूची, 2002, तथा अन्य प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन उपकरणों के संदर्भ के अनुसार व्यावसायिक रोग या दुर्घटना माना जाना चाहिए।

परीक्षण, निजता तथा गोपनीयता

24. ऐसे प्रभावित व्यक्ति पर परीक्षण विशुद्ध स्वैच्छिक और बिना किसी ज़ोर–ज़बर्दस्ती के होने चाहिए। जांच कार्यक्रमों को गोपनीयता, सलाह और सहमति पर अंतरराष्ट्रीय दिशा–निर्देशों का सम्मान करना चाहिए।

25. एचआइवी परीक्षण या एचआइवी जांचने के दूसरे तौर तरीकों का इस्तेमाल, कर्मचारियों, विस्थापित श्रमिकों या काम तलाशने या नौकरी के लिए आवेदन करने वालों पर आवश्यक नहीं होना चाहिए।

26. एच्आइवी जांच के नतीजे गोपनीय होने चाहिए और नौकरी, कार्यकाल, नौकरी की सुरक्षा, उन्नति के अवसरों में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए।

27. प्रवासी श्रमिक, नौकरी के इच्छुक, नौकरी के लिए आवेदन करने वालों सहित श्रमिक, मूल देशों को स्वयं की या दूसरों के बारे में एच्आइवी संबंधी जानकारी का खुलासा करने को बाध्य नहीं हैं। इस प्रकार की सूचना आइएल्ओ श्रमिक सुरक्षा आचार संहिता, व्यक्तिगत डाटा, 1997, तथा अन्य प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय डाटा सुरक्षा मानकों के गोपनीयता नियमों के आधार पर नियंत्रित होनी चाहिए।

28. प्रवासी श्रमिक, या ऐसे व्यक्ति जो रोज़गार के लिए प्रवास करते हैं, उन्हें इस बिना पर कि अमुक व्यक्ति एच्आइवी से ग्रसित है या आशंका के आधार पर, उसके अपने मूल देश में या जहां से वह गुज़र रहा हो, या गंतव्य स्थान तक पहुंचने में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाई जानी चाहिए।

29. यदि श्रमिकों का उपरोक्त में से किसी अधिकार का हनन हो रहा हो तो सदस्य सुलभ विवाद समाधान प्रक्रिया द्वारा निवारण सुनिश्चित कर सकते हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य

30. एच्आइवी संक्रमण रोकने के लिए कार्यस्थल और काम का वातावरण सुरक्षित तथा स्वस्थ होना चाहिए, तथा व्यावसायिक सुरक्षा के मद्देनज़र हेल्थ कन्वेन्शन 1981 के तहत और सिफ़ारिश, 1981, तथा व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य कन्वेन्शन तथा स्वास्थ्य प्रोत्साहन कन्वेन्शन, 2006 एवं सिफ़ारिश, 2006, तथा अन्य प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय मानकों, जैसे कि संयुक्त अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (ड्ब्ल्युएच्ओ) दिशानिर्देशन दस्तावेज इत्यादि को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

31. काम के दौरान श्रमिकों को एच्आइवी संक्रमण से बचाने के लिए सुरक्षा तथा स्वास्थ्य उपाय जिसमें सार्वभौमिक उपाय – दुर्घटना तथा जोखिम बचाव उपाय, जैसे संगठनात्मक उपाय, इंजीनियरिंग तथा कार्य अभ्यास नियंत्रण, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण, उचित पर्यावरणीय नियंत्रण उपाय तथा बाद के रोगनिरोधन जोखिम तथा अन्य सुरक्षा उपाय विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में शामिल करने होंगे जिससे एच्आइवी तथा तपेदिक विशेषकर कार्यस्थल पर इसके संपर्क के जोखिमों को कम किया जा सके।

32. यदि कार्यस्थल पर एच्आइवी जोखिम की संभावना है तो, ज़रूरी है कि श्रमिकों को इसके जोखिमों तथा संक्रमण से बचने के उपायों की जानकारी देने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाये। सदस्य यह सुनिश्चित करें कि बचाव, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य उपाय प्रासंगिक मानकों के अनुसार ही उपलब्ध कराये जायेंगे।

33. जागरूकता–प्रसार अभियान के तहत इस बात पर ज़ोर दिया जाना चाहिए कि एच्आइवी छूने से नहीं फैलता और न ही एच्आइवी ग्रस्त व्यक्ति की उपस्थिति से कार्यस्थल को कोई ख़तरा होता है।

34. व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं तथा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंधित कार्यस्थलीय यंत्र रचना को व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कन्वेन्शन, 1985, तथा सिफ़ारिश, 1985, अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय / ड्ब्ल्युएच्ओ स्वास्थ्य सेवाएं तथा एचआइवी / एड्स मार्गनिर्देशन, 2005 तथा किसी समुचित पुनरीक्षण, तथा अन्य प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय उपकरणों को ध्यान में रखते हुए एच्आइवी और एड्स पर काम करना चाहिए।

बच्चे तथा युवा व्यक्ति

35. सदस्यों को आइएल्ओ मौलिक श्रम तथा अधिकार सिद्धांत घोषणापत्र, 1998, न्यूनतम आयु कन्वेन्शन, 1973, तथा सिफ़ारिश 1973, तथा बाल श्रम विकृत स्वरूप कन्वेन्शन, 1999, तथा सिफ़ारिश 1999, को ध्यान में रखते हुए एड्स के कारण पारिवारिक सदस्य या देखभाल करने वाले की मृत्यु या बीमारी की वजह से होने वाली बाल मज़दूरी तथा बच्चों के अवैध व्यापार से जूझने के उपाय अपनाने चाहिए। बच्चों को यौन दुराचार तथा यौन शोषण से बचाने के लिए विशेष उपाय किये जाने चाहिए।

36. सदस्य युवा श्रमिकों को एच्आइवी संक्रमण से बचाने के उपाय करें, तथा राष्ट्रीय नीतियों तथा कार्यक्रमों में एच्आइवी और एड्स से बचे रहने के लिए बच्चों तथा युवाओं के लिए विशेष आवश्यक उपाय किये जायें। इनमें यौन शिक्षा तथा स्वास्थ्य शिक्षा विशेषकर वोकेशनल प्रशिक्षण तथा युवा रोज़ग़ार कार्यक्रम तथा सेवाओं के द्वारा एच्आइवी और एड्स पर जानकारी भी शामिल हो।

V – कार्यान्वयन

37. एच्आइवी और एड्स और श्रम की दुनिया पर राष्ट्रीय नीतियां तथा कार्यक्रम इस तरह होने चाहिए :

(क) प्रासंगिक सार्वजनिक तथा निजी व्यावसायिक स्वास्थ्य विभागों सहित नियोक्ताओं तथा श्रमिकों, अन्य संबंधित पार्टियों के संगठन प्रतिनिधि, निम्न माध्यमों द्वारा प्रभावकारी प्रयासों को कार्यान्वित कर सकते हैं–

i. राष्ट्रीय क़ानून व नियम;

ii. सामूहिक समझौते;

iii. राष्ट्रीय कार्यस्थल कार्रवाई नीतियां और कार्यक्रम; तथा

iv. खंडीय रणनीतियां, विशेषकर उन सेक्टरों को ध्यान में रखते हुए बनायी जायें जहां इस सिफ़ारिश के अंतर्गत वे लोग आते हों जिनके सामने अधिक ख़तरा हो;

(ख) योजनाएं तथा नीतियां तथा कार्यक्रम की योजनाएं बनाने तथा इसके कार्यान्वयन के लिए श्रम मुद्दों में विशेषज्ञता प्राप्त न्यायिक प्राधिकारियों, श्रम प्रशासन प्राधिकारियों को भी शामिल किया जा सकता है, और उन्हें इस संबंध में प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(ग) इस सिफ़ारिश के तहत राष्ट्रीय क़ानूनों तथा नियमों में ऐसे उपाय उपलब्ध कराए जायें जिनसे निजता तथा गोपनीयता बरकरार रहे तथा अन्य सुरक्षा भी सुलभ हो सके।

(घ) सार्वजनिक प्राधिकारी वर्ग तथा सार्वजनिक तथा निजी सेवाएं, बीमा तथा लाभकारी कार्यक्रमों या अन्य प्रकार के कार्यक्रमों को शामिल करते हुए, इनमें सहयोग तथा समन्वय कायम करना सुनिश्चित करना;

(ड़) राष्ट्रीय नीतियों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सभी उद्यमों को प्रोत्साहन तथा सहयोग देना, जिसमें उनकी आपूर्ति श्रृंखला और वितरण प्रणाली भी शामिल हो और नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के संगठनों की भी भागीदारी हो और यह भी सुनिश्चित हो कि व्यापार चलाने में निर्यात प्रक्रिया ज़ोन का अनुसरण किया जायेगा।

(च) त्रिपक्षीय परामर्श (अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक) कन्वेन्शन, 1976, के अनुकूल तथा सरकारी प्राधिकारी वर्ग, सार्वजनिक तथा निजी नियोक्ता तथा श्रमिक तथा उनके प्रतिनिधियों में सहयोग के अन्य प्रारूपों, एच्आइवी तथा एड्स में विशेषज्ञता प्राप्त तथा पेशेगत स्वास्थ्य कर्मचारियों, एच्आइवी सहित जीने वाले लोगों के प्रतिनिधि संगठनों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, प्रासंगिक नागरिक समाज संगठनों एवं राष्ट्र समन्वय तंत्र के विचारों को भी ध्यान में रखते हुए परामर्श तथा वार्ता सहित सामाजिक संवाद को प्रोत्साहन दिया जाये;

(छ) नयी जानकारियों, वैज्ञानिक तथा सामाजिक विकास की ताज़ा सूचनाओं तथा मुख्यधारा के लैंगिक तथा सांस्कृतिक सरोकारों का प्रतिपादन, कार्यान्वयन तथा नियमित रूप से तैयारी की समीक्षा;

(ज) श्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीतियों तथा कार्यक्रमों के बीच समन्वय; तथा

(झ) यह भी सुनिश्चित करना कि सदस्य राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा नियोक्ताओं तथा श्रमिकों की क्षमता का सम्मान करते हुए उनके कार्यान्वयन के लिए समुचित प्रावधान बनायेंगे।

सामाजिक संवाद

38. एच्आइवी और एड्स पर बनी नीतियों तथा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, नियोक्ताओं तथा श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों, तथा सरकारों, उनके कार्यस्थल में एच्आइवी के साथ जी रहे व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी, के सहयोग तथा विश्वास पर आधारित होना चाहिए।

39. नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के संगठनों को अपने सदस्यों को शिक्षा तथा सूचनाओं के प्रावधान द्वारा एच्आइवी और एड्स के प्रति जागरूकता, साथ ही निवारण तथा ग़ैर–भेदभाव को प्रोत्साहित करना चाहिए। लैंगिक तथा सांस्कृतिक सारोकारों के प्रति ये संवेदनशील होने चाहिए।

शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना तथा परामर्श

40. कार्यस्थल में सभी श्रमिकों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों, नये नियुक्त किये गये श्रमिकों या अनुभवहीन श्रमिकों, कम आयु के श्रमिकों, इन्टर्न्स तथा नौसिखिओं समेत प्रशिक्षुओं इत्यादि को स्पष्ट तथा समझ में आ जाने वाले तरीक़ों से एच्आइवी तथा एड्स संबंधी प्रशिक्षण, सुरक्षा निर्देश और अन्य आवश्यक दिशानिर्देश दिये जाने चाहिए।

41. कार्यस्थल में समुचित उपाय करने हेतु नियोक्ताओं, प्रबंधकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों को नयी वैज्ञानिक तथा सामाजिक–आर्थिक सूचना तथा जहां तक आवश्यक हो एच्आइवी और एड्स पर शिक्षा तथा प्रशिक्षण से लैस किया जाना चाहिए।

42. प्रशिक्षुओं, इन्टर्न्स, स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं सहित श्रमिकों को कार्यस्थल दुर्घटनाओं तथा प्रथम चिकित्सा के संदर्भ में एच्आइवी संक्रमण नियंत्रण की सूचनाओं तथा प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता होनी चाहिए तथा उन्हें समुचित प्रशिक्षण मिलना चाहिए। श्रमिक जिनका व्यवसाय मानव रक्त, रक्त उत्पाद तथा अन्य शारीरिक तरल, के जोखिम भरे संपर्क में आते हों उन्हें जोखिम निवारण तथा जोखिम पंजीकरण प्रक्रिया तथा जोखिम के बाद के रोगनिरोधन का अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

43. श्रमिक तथा उनके प्रतिनिधियों को यह अधिकार है कि उन्हें कार्यस्थल पर एच्आइवी और एड्स से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए किये जा रहे उपाय के बारे में सूचित किया जाये और उनसे सलाह भी ली जाये। श्रमिक तथा नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार कार्यस्थल के निरीक्षण में भी भागीदार बनना चाहिए।

प्रशासनिक सेवाएं

44. एच्आइवी और एड्स के मुद्दे पर श्रम प्रशासनिक सेवाओं, श्रम निरीक्षकों तथा श्रम मुद्दों पर विशेषज्ञताप्राप्त न्यायिक प्राधिकारी वर्ग की भूमिका का विश्लेषण किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसे और अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए

45. जन स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत बनाना चाहिए तथा संयुक्त आइएल्ओ/डब्ल्युएच्ओ स्वास्थ्य सेवाओं और एच्आइवी/एड्स दिशानिर्देश, 2005, तथा किसी अनुवर्ती संशोधन का पालन करते हुए, निवारण, देखरेख तथा सहायता, और साथ ही प्रशासनिक सेवाओं पर अतिरिक्त काम का बोझ कम करना सुनिश्चित करना, विशेषकर स्वास्थ्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर जो एच्आइवी व एड्स के कारण पड़ता है।

अंतरराष्टीय सहयोग

46. सदस्यों को इस सिफ़ारिश को प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों द्वारा, बहुपक्षीय प्रणाली में अपनी भागीदारी या अन्य प्रभावी साधनों के माध्यम से सहयोग करना चाहिए।

47. एच्आइवी निवारण, उपचार, देखभाल तथा प्रवासी श्रमिकों को सहायता सेवाओं के लिए मूल देश से दूसरे देश में जाने, ट्रांज़िट या गंतव्य स्थान तक पहुंचने में किसी तरह की बाधा न हो, संबंधित देशों के बीच उचित समझौते के साथ सुनिश्चित होना चाहिए।

48. एच्आइवी महामारी से लड़ने के सभी उपायों पर, सदस्यों के बीच या आपस में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, एच्आइवी और एड्स पर उनकी राष्ट्रीय संरचना तथा प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय संगठन और सूचना के योजनाबद्ध विनिमय को प्रोत्साहन देना चाहिए।

49. सदस्यों तथा बहुपक्षीय संगठनों को समन्वय तथा सभी देशों की आवश्यकताओं विशेषकर व्यापकता वाले देशों में एच्आइवी से संबंधित निवारण, उपचार तथा देखरेख तथा सहयोग पर अंतरराष्ट्रीय रणनीतियों तथा कार्यक्रमों के विकास के लिए विशेष ध्यान तथा आवश्यक संसाधनों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

50. सदस्यों तथा बहुपक्षीय संगठनों को एच्आइवी के कारण फैले संक्रमण, अन्य समयानुवर्ती संक्रमण तथा एच्आइवी संबंधी कैंसर के निवारण, उपचार तथा देखरेख तथा सहयोग के लिए किसी भी प्रकार की आपूर्तियों के मूल्यों में कमी लानी चाहिए।

VI – अनुवर्ती परिणाम

51. सदस्यों को एच्आइवी तथा एड्स तथा श्रम की दुनिया पर राष्ट्रीय नीतियों से संबंधित विकास की निगरानी तथा उसे अपनाने और क्रियान्वयन के लिए सलाह तैयार करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करना चाहिए या मौजूदा तंत्र का उपयोग करना चाहिए,

52. नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के सर्वाधिक प्रतिनिधि संगठनों को राष्ट्रीय नीति के विकास पर निगरानी रखने के लिए तंत्र में समान स्तर पर प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन संगठनों को आवश्यक व्यवस्था के तहत एच्आइवी ग्रस्त व्यक्तियों के संगठनों के विचारों, विशेषज्ञ रिपोर्ट या तकनीकी अध्ययन को ध्यान में रखते हुए परामर्श किया जाना चाहिए।

53. सदस्य को जहां तक मुनासिब हो सभी तरह की सूचनाएं और सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करने चाहिए, ताकि राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर अनुसंधान व विकास के काम को आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही श्रम की दुनिया में एच्आइवी और एड्स के स्तर और अन्य बातों के अलावा पैमाने का पता लग सके और यह निष्कर्ष निकल सके कि इस बीमारी का महिलाओं तथा पुरुषों के बीच कितना अनुपात है।

54. इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इस सिफ़ारिश के आधार पर की गयी कार्रवाई पर नियमित तौर पर समीक्षा को भी यूएन्एड्स की राष्ट्रीय रिपोर्ट में तथा संबंधित प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय प्रपत्रों के तहत शामिल किया जाना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा 99वें सत्र में अपनाये गये प्रस्ताव

(जिनेवा, जून २०१०)

...

II

एच्आइवी और एड्स और श्रम की दुनिया, २०१०, सिफ़ारिश, की प्रगति तथा कार्यान्वयन से संबंधित प्रस्ताव[1]

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 99वें सत्र, 2010 की आम सभा में,

एच्आइवी तथा एड्स तथा श्रम की दुनिया, 2010 पर स्वीकृत सिफ़ारिश,

यह संज्ञान में लेते हुए कि सिफ़ारिश की सफलता प्रभावी प्रगति तथा उसकी ज़रूरतों के कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी,

संगठन का मुख्य ध्येय उत्कृष्ट श्रम तथा टिकाऊ उपक्रमों को प्रोत्साहित करना है,

यह संज्ञान में लेते हुए कि संयुक्त राष्ट्र एच्आइवी/एड्स (यूएन्एड्स) संयुक्त कार्यक्रम में त्रिपक्षीय संगठन के तौर पर आइएल्ओ की भागीदारी है, जिसका मुख्य उद्देश्य एच्आइवी और एड्स से निपटने का प्रयास है,

1. अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय की संचालन समिति को आमंत्रित किया जाता है ताकि श्रम की दुनिया में सिफ़ारिश को प्रभावी बनाने हेतु मौजूदा बजट में संसाधन तथा अतिरिक्त बजट के तहत संसाधन जुटाने तथा त्रिपक्षीय घटकों के साथ कार्यों को अंजाम दिया जा सके।

2. विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठन जो कि कार्यस्थलों पर एच्आइवी/एड्स निवारण की दिशा में कार्य कर रहे हैं, उसमें संचालन समिति को साझा प्रयासों के लिए आमंत्रित करती है।

3. कार्यस्थल में एच्आइवी/एड्स के प्रभाव को कम करने के लिए सिफ़ारिश के व्यापक विस्तार के कार्यन्वयन को उपलब्ध करने के लिए वैश्विक कार्य योजना स्थापित करने के उद्देश्य से संचालन समिति को आमंत्रित करने का अनुरोध किया। यह नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि संगठनों, यूएन्एड्स के विचारों, एच्आइवी पीड़ित प्रतिनिधि संगठनों तथा अन्य प्रासंगिक पार्टियों के साथ विकसित किया जाना चाहिए।

4. संचालन समिति को आमंत्रित करना ताकि वह महानिदेशक से अनुरोध करे कि वह देशों को कार्यालय खोलने व तकनीकी सहयोग की ख़ातिर संसाधनों का आवंटन उचित मात्रा में सुलभ कराएं। सदस्य देशों तथा सर्वाधिक नियोक्ता तथा श्रमिक प्रतिनिधि संगठनों द्वारा इन क्षेत्रों में सिफ़ारिश के कार्यान्वयन में सहयोग के लिए निवेदन किया जा सकता है :

(क) इस सिफ़ारिश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए त्रिपक्षीय राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों, तथा विधि–निर्माण की प्रगति तथा कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता;

(ख) प्रशिक्षण, सूचना, निगरानी, कार्यान्वयन तथा पैरवी करने हेतु समर्थन तथा क्षमता उपलब्ध कराना, उदाहरण के लिए :

i. क्षेत्रों को ध्यान में रखने के साथ ही क्षमता निर्मित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सामग्री विकसित करनी;

---

[1]16 जून 2010 को अपनाया गया।

ii. नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों तथा श्रम प्रशासकों सहित कार्यस्थल में एचआइवी और एड्स संकेंद्रित व्यक्तियों तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण;

iii. प्रचार सामग्री का विकास और शिक्षाप्रद सामग्री व इससे संबंधित सिफ़ारिश; तथा

iv. सिफ़ारिश को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय गोष्ठियां तथा कार्यशालाएं।

5. सदस्य देशों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति की समीक्षा या विकास पर निगरानी और मौजूदा तंत्र का उपयोग करने या तंत्र की स्थापना करने हेतु आमंत्रित करना तथा श्रम की दुनिया में एचआइवी और एड्स पर प्रासंगिक कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में वे बेहतर उदाहरणों का हिस्सा बनें।

6. आइएल्ओ संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सदस्य राज्यों से रिपोर्ट मांगने की बाबत संचालन समिति को आमंत्रित करना खासतौर पर एच्आइवी और एड्स संबंधी सामान्य सर्वेक्षण रिपोर्टें अधिक से अधिक नियोक्ता प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करके तैयार की जानी चाहिए; साथ ही नियोक्ता तथा कर्मचारी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए जिससे कि अच्छे कार्यव्यवहार का उदाहरण पेश किया जा सके।

7. संचालन समिति को इस सिफ़ारिश के कार्यान्वयन की समयबद्ध प्रगति समीक्षा के लिए आमंत्रित करना।

8. भेदभाव (रोज़गार व व्यावसायिक) कन्वेन्शन 1958 के अनुच्छेद 1 (1) (बी) के तहत संचालन समिति को सदस्य राज्यों के बीच विस्तार करने को आमंत्रित करना, जिससे कि कन्वेन्शन के तहत वास्तविक या कथित एच्आइवी स्तर के हिसाब से उचित संरक्षण प्रदान किया जा सके।

...

ISBN 978-92-2-825169-2

9 789228 251708